



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक: 14 जुलाई, 2019

पत्रांक - एस.एस.वि.वि./सा. 411 /2019

सेवा में,
अध्यक्ष
ज्योतिष विभाग
सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2019-20 में अध्यापन की आवश्यकता का दृष्टि में रखते हुए ज्योतिष विभाग में रिक्त पद के माध्यम आप द्वारा संस्तुत मंत्रान्वित अध्यापक प्रो. उमाशंकर शुक्ल को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलगति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित अतिथि व्याख्याता से दिनांक 01.08.2019 से अध्यापन/व्याख्यान प्रारम्भ कराया जाय।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- जो रुपये 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा. मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 14.7.19

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

14.7.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक - एस.एस.वि.वि./सा. ५१३ / २०१९

दिनांक १५ जुलाई, २०१९

सेवा में,

अध्यक्ष

व्याकरण विभाग

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र २०१९-२० में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र २०१९-२० में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए व्याकरण विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत अधोलिखित सेवानिवृत्त अध्यापकों को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक ११.०७.२०१९ के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित अतिथि व्याख्याता से दिनांक ०१.०८.२०१९ से अध्यापन/व्याख्यान प्रारम्भ कराया जाय।

१. प्रो. केदारनाथ त्रिपाठी
२. डॉ. प्राण मोहन कुँमर
३. डॉ. शेषनारायण मिश्र

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रूपये ४००/- जो रूपये १५,०००/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
२. प्रतिकुलपति।
३. संकायाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय।
४. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
५. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
६. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

१५.०७.१९



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

एस.एस.वि.वि./सा. 415 /2019

दिनांक 14 जुलाई, 2019

सेवा में,
अध्यक्ष
वेद विभाग
सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2019-20 में अध्यापन की आवश्यकता का दृष्टि में रखते हुए वेद विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत सेवानिवृत्त अध्यापक डॉ. रामेन्द्र नाथ त्रिपाठी को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित अतिथि व्याख्याता से दिनांक 01.08.2019 से अध्यापन/व्याख्यान प्रारम्भ कराया जाय।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रूपये 400/- जो रूपये 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

o/c

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रेषित:- 14.7.19

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

14.7.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

- एस.एस.वि.वि./सा. 412 /2019

दिनांक 14 जुलाई, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष

धर्मशास्त्र विभाग

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2019-20 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए धर्मशास्त्र विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत सेवानिवृत्त अध्यापक प्रो. व्यास मिश्र को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित अतिथि व्याख्याता से दिनांक 01.08.2019 से अध्यापन/व्याख्यान प्रारम्भ कराया जाय।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रूपये 400/- जो रूपये 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 14.7.19

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

14.7.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक 21.07.2019

सं. : एस.एस.वि.वि./सा.५३९ /2019

सेवा में,

अध्यक्ष

साहित्य विभाग,

सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

विषय:- सत्र 2019-2020 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन- अध्यापन के हित में सत्र 2019-2020 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए साहित्य विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत अधोलिखित सेवानिवृत्त अध्यापकों को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 19.07.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं से दिनांक 01.08.2019 से अध्यापन/व्याख्यान प्रारम्भ कराया जाये।

1. प्रो० प्रभुसिंह यादव - सेवानिवृत्त अध्यापक
2. डा० गिरीश दत्त पाण्डेय - सेवानिवृत्त अध्यापक
3. डा० त्रिवेणी प्रसाद शुक्ल - सेवानिवृत्त अध्यापक
4. श्री राम अवध पाण्डेय - सेवानिवृत्त अध्यापक

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- (रु०चार सौ मात्र) जो रुपये 15000/- प्रति माह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

21.7.19

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रति कुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, साहित्य, संस्कृति संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

21.7.19

01C



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

एस.एस.वि.वि./सा. ५५० /2019

दिनांक 27-07.2019

सेवा में,
अध्यक्ष
वेदान्त विभाग,
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

विषय:—सत्र 2019-2020 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन- अध्यापन के हित में सत्र 2019-2020 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए वेदान्त विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत सेवानिवृत्त अध्यापक प्रो. जयप्रकाश नारायण त्रिपाठी को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 22.07.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित अतिथि व्याख्याता से दिनांक 01.08.2019 से अध्यापन/व्याख्यान प्रारम्भ कराया जाये।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- (रु०चार सौ मात्र) जो रुपये 15000/- प्रति माह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रति कुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

27.7.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

एस.वि.वि./सा. 501 /2019

दिनांक 30-07-2019

सेवा में,

अध्यक्ष

प्राचीन राजशास्त्रार्थ शास्त्र विभाग,

सं0सं0वि0वि0, वाराणसी

विषय:—सत्र 2019-2020 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन- अध्यापन के हित में सत्र 2019-2020 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए प्राचीन राजशास्त्रार्थ शास्त्र विभाग, में अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत अधोलिखित सेवानिवृत्त अध्यापकों को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं से दिनांक 01.08. 2019 से अध्यापन/व्याख्यान प्रारम्भ कराया जाये।

1. पं0 श्री जगन्नाथ शास्त्री तैलंग – सेवानिवृत्त अध्यापक

2. प्रो0 जानकी प्रसाद द्विवेदी – सेवानिवृत्त अध्यापक

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- (रु0चार सौ मात्र) जो रुपये 15000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र) प्रति माह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

0/✓



कुलसचिव

सं0सं0वि0वि0, वाराणसी

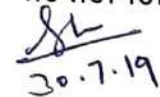
प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रति कुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, साहित्य संस्कृति संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. सम्बद्ध पत्रावली।



कुलसचिव

सं0सं0वि0वि0, वाराणसी


30.7.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

एस.एस.वि.वि./सा.501 /2019

दिनांक 30.07.2019

सेवा में,

अध्यक्ष

प्राचीन राजशास्त्रार्थ शास्त्र विभाग,
सं0सं0वि0वि0, वाराणसी

विषय:- सत्र 2019-2020 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन- अध्यापन के हित में सत्र 2019-2020 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए प्राचीन राजशास्त्रार्थ शास्त्र विभाग, में अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत अधोलिखित सेवानिवृत्त अध्यापकों को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं से दिनांक 01.08.2019 से अध्यापन/व्याख्यान प्रारम्भ कराया जाये।

1. पं0 श्री जगन्नाथ शास्त्री तैलंग - सेवानिवृत्त अध्यापक

2. प्रो0 जानकी प्रसाद द्विवेदी - सेवानिवृत्त अध्यापक

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- (रु0चार सौ मात्र) जो रुपये 15000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र) प्रति माह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं0सं0वि0वि0, वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रति कुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, साहित्य संस्कृति संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं0सं0वि0वि0, वाराणसी

30.7.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सूचना

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए अधोलिखित विद्वानों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में अतिथि व्याख्यान हेतु आमन्त्रित करने के लिए माननीय कुलपति जी ने आदेश प्रदान किया है।

क्र.सं.	विभाग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमन्त्रित विद्वान
वेद वेदाङ्ग संकाय		
1.	वेद	1- डा. शरद कुमार नागर 2- डा. अमन्द मिश्र 3- डा. जयन्त पति त्रिपाठी
2.	ज्योतिष	1- डा. माधवेन्द्र पाण्डेय 2- डा. गोपाल पाठक कारखेडकर
3.	व्याकरण	1- डा. दिव्यचेतन ब्रह्मचारी
साहित्य संस्कृति संकाय		
1.	साहित्य	1- कु. भागमनी यादव
2.	संगीत (गायन, सितार, तबला)	1- श्री आशीष कुमार मिश्र (तबला) 2- श्री शिवम मिश्र (सितार) 3- डा. रुचिरा बन्दोपाध्याय (गायन)
3.	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	1- डा. महेश कुमार शर्मा
दर्शन संकाय		
1.	न्याय वैशेषिक	1- डा. योगेश कुमार त्रिपाठी
2.	सांख्य योगतन्त्रागम	1- डा. अमित कुमार मिश्र
3.	वेदान्त	1- सुश्री श्वेता बरनवाल
श्रमण विद्या संकाय		
1.	बौद्ध दर्शन	1- डा. लेखमणि त्रिपाठी 2- डा. शिवमणि उपाध्याय
2.	जैन दर्शन	1- डा. मुन्नी जैन
3.	पालि एवं थेरवाद	1- डा. राजेश कुमार श्रीवास्तव
4.	संस्कृत विद्या	1- डा. बालेश्वर झा 2- डा. देवात्मा दूबे

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रति माह रु. 15000/- (रु. पन्द्रह हजार) से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

सं.सा. 599/2019, दिनांक 19.08.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. रुचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि अपने विभाग से सम्बन्धित विद्वानों को आवश्यकतानुसार आमन्त्रित कर, अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्तधिकारी।
4. अधीक्षक(प्रशा.)/लेखा।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सूचना

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए अधोलिखित विद्वानों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में अतिथि व्याख्यान हेतु आमन्त्रित करने के लिए माननीय कुलपति जी ने आदेश प्रदान किया है।

क्र.सं.	विभाग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमन्त्रित विद्वान
आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय		
1.	शिक्षाशास्त्र	1- डा. पवन कुमार सिंह 2- डा. कृष्ण कुमार 3- श्री संतोष कुमार 4- डा. विजेन्द्र सिंह 5- सुश्री विदुषी विश्वकर्मा
2.	विज्ञान	1- डा. शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी
3.	सामाजिक विज्ञान	1- डा. नितेश कुमार गुप्ता (प्र. इति.)
4.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान	1- डा. नीलम सिंह (हिन्दी)

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रति माह रु. 15000/- (रु. पन्द्रह हजार) से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

सं.सा. 616 /2019, दिनांक 21.08.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि अपने विभाग से सम्बन्धित विद्वानों को आवश्यकतानुसार आमन्त्रित कर, अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्तधिकारी।
4. अधीक्षक(प्रशा.)/लेखा।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी
21.8.19

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी
21.8.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं.सं.वि.वि./सा. 671 /2019

दिनांक ०५ सितम्बर, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष

प्राचीनराजशास्त्रार्थ विभाग

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए प्राचीनराजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग में आमंत्रित व्याख्याता डॉ. मंहेश कुमार शर्मा के उपलब्धता न होने के कारण माननीय कुलपति जी ने डॉ. अखलेश कुमार मिश्र को उक्त विभाग में अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रित करने के आदेश प्रदान किया है।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रूपये 400/- जो रूपये 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

01/

कुलसचिव 05.09.19

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 05.09.19

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, साहित्य संस्कृति संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव 05.09.19

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

05.09.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं.वि.वि./सां. 672/2019

दिनांक ०५ सितम्बर, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष
संस्कृत विद्या विभाग
सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

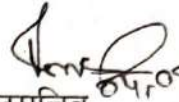
महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2019-20 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संस्कृत विद्या विभाग में अध्यापकों के रिक्त पद के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत सेवानिवृत्त अध्यापक डॉ. लक्ष्मीकान्त झा को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित अतिथि व्याख्याता से अध्यापन/व्याख्यान प्रारम्भ कराया जाय।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- जो रुपये 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

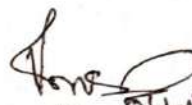
OK


कुलसचिव 05.09.19

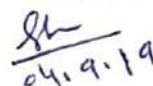
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: 05.9.19

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, श्रमण विद्या संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
6. सम्बद्ध पत्रावली।


कुलसचिव 05.09.19

सं.सं.वि.वि., वाराणसी


05.9.19



संशोधित-आदेश

सेवा में,

अध्यक्ष,
प्राचीन राजशास्त्रार्थ शास्त्र विभाग
सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

महोदय,

पूर्व प्रसारित विश्वविद्यालयीय आदेश संख्या-एस.एस.वि.वि./सा.671/2019 दिनांक 04 सितम्बर, 2019 में अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित विद्वान डॉ. अखलेश कुमार का नाम त्रुटिवश डॉ. अखलेश कुमार मिश्र अंकित हो गया है। इनका सही नाम डॉ. अखलेश कुमार है।

अतएव पूर्व प्रसारित आदेश संख्या-एस.एस.वि.वि./सा.671/2019 दिनांक 04 सितम्बर, 2019 उक्त आशय तक संशोधित समझा जाये।

इस पर माननीय कुलपति जी की स्वीकृति प्राप्त है।


कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - 
12.10.19

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रति कुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, साहित्य संस्कृति संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

o/c


कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी


12.10.19

सेवा में,

अध्यक्ष

ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान विभाग

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में अध्यापक के रिक्त पद (01) के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत अधोलिखित विद्वान को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 03.11.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. श्री निधीश त्रिपाठी

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- (चार सौ) जो रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल का भुगतान विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।


कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

dl


कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी



पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं.सा. 821 /2019

दिनांक : 07 नवम्बर, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष

आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2019-20 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत विद्वान सुश्री पासड डोल्कर गुरुड को तिब्बती भाषा के अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 19.09.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- (रु. चार सौ मात्र) जो रुपये 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

07.11.19

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान एवं विज्ञान संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/लेखा)।
6. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

01/11

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

07.11.19



पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

वि.सा. 1072/2019

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष

व्याकरण विभाग

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2019-20 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए व्याकरण विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत विद्वान डॉ. रामयज्ञ शुक्ल को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 09.12.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- जो रुपये 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 11.12.19

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/लेखा)।
6. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

01/12

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

11.12.19



पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं.वि.वि./सां. 1072 /2019

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

अध्यक्ष

व्याकरण विभाग

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2019-20 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2019-20 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए व्याकरण विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत विद्वान डॉ. रामयज्ञ शुक्ल को अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 09.12.2019 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रुपये 400/- जो रुपये 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय विल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

1

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/लेखा)।
6. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

प.

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

11.12.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क : एस.एस.वि.वि./सा. 721 /2019

दिनांक 12.10.2019

संशोधित-आदेश

सेवा में,

अध्यक्ष,

प्राचीन राजशास्त्रार्थ शास्त्र विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

महोदय,

पूर्व प्रसारित विश्वविद्यालयीय आदेश संख्या-एस.एस.वि.वि./सा.671/2019 दिनांक 04 सितम्बर, 2019 में अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित विद्वान डॉ. अखलेश कुमार का नाम त्रुटिवश डॉ. अखलेश कुमार मिश्र अंकित हो गया है। इनका सही नाम डॉ. अखलेश कुमार है।

अतएव पूर्व प्रसारित आदेश संख्या-एस.एस.वि.वि./सा.671/2019 दिनांक 04 सितम्बर, 2019 उक्त आशय तक संशोधित समझा जाये।

इस पर माननीय कुलपति जी की स्वीकृति प्राप्त है।

1
कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रति कुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, साहित्य संस्कृति संकाय।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

12.10.19